LLB 1 SEM CONSTITUTIONAL LAW OF INDIA 2015

नोट- किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Q.1. भारतीय संविधान की प्रकृति समझाइए। क्या भारत का संविधान संघात्मक है?
Write about the nature of the Indian Constitution. Is the Constitution of India Federal?

Q.2. अनुच्छेद-2.1 के अंतर्गत 'प्राण' शब्द से आप क्या समझते हैं? 'मानव गरिमा के साथ जीने के अधिकार' को समझाइए।
What do you mean by the word 'life' under article-21? Explain 'Right to live with Human dignity'.

Q.3. 'अंतःकरण की स्वतंत्रता' क्या है? क्या धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं?
What is 'freedom of conscience'? Can restrictions be imposed on religious freedom?

Q.4. 'अनुच्छेद-32 संविधान की आत्मा है'। इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
'Art.-32 is the very soul of the Indian constitution'. Give a critical analysis of this statement.

Q.5. भारत के राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों को समझाइए।
Describe the judicial powers of President of India.

Q.6. उच्चतम न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार को समझाइए। क्या न्यायालय अपना मत देने के लिए बाध्य है?
Explain the Advisory jurisdiction of Supreme Court of India. Is the court bound to give its opinion?

Q.7. संविधान का मूलभूत ढाँचा क्या है? संविधान के मूलभूत ढाँचे के सिद्धान्त को समझाइए।
What is the basic structure of constitution? Explain the theory of basic structure of constitution.

Q.8. भारतीय संविधान द्वारा लोकसेवकों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण को समझाइए।
Describe the constitutional safe-guards to public servants provided by the Constitution of India.

Q.9. क्या भारत का राष्ट्रपति आपातकालीन घोषणा कर सकता है? आपातकालीन घोषणा का मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है?
Can the President of India Issue a proclamation of emergency? What are the consequences of proclamation of emergency on the fundamental rights?

Q.10. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-(अ) न्यायिक पुनर्विलोकन, (ब) सार और तत्त्व का सिद्धान्त
Write short notes on the following:
(a) Judicial Review, (b) Doctrine of pith and substance

http://www.onlineBU.com http://www.onlineBU.com